

**भारत सरकार**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**  
**मत्स्यपालन विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4922**  
**01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए**  
**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य**

**4922. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी :**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के लक्ष्यों का व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि 2021-22 में आंध्र प्रदेश में इस योजना के लाभार्थी में कोई महिला नहीं थी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या हाल के दिनों में इसमें सुधार लाने तथा राज्य में योजना के कामकाज में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**  
**(श्री जॉर्ज कुरियन)**

(क): प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को वित्तीय वर्ष 2020-21 से निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ कार्यान्वित किया गया है:

- (i) माल्टिकी क्षेत्र की क्षमता का सतत, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से उपयोग
- (ii) विस्तार, गहनता, विविध प्रजातियों के पालन एवं भूमि और जल के उत्पादक उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
- (iii) वैल्यू चैन का आधुनिकीकरण और सुट्टीकरण – पोस्ट-हारवेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार
- (iv) मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार सृजन करना
- (v) कृषि जीवीए और निर्यात में योगदान बढ़ाना
- (vi) मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा
- (vii) मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क।

(ख) से (घ): आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को कुल 403 इकाइयों के साथ तीन घटक मंजूर किए गए। 2021-22 के दौरान महिला लाभार्थियों के लिए स्वीकृत घटकों और इकाइयों में 191 फिश कियोस्क, 7 फिश रीटेल आउटलेट और 205 सागर मित्र शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत प्रति वर्ष महिला वर्ग के लिए इकाइयां आवंटित की गई हैं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान 20050 इकाइयों के साथ कुल 38 गतिविधियां मंजूर की गई हैं।